

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी तारीख के साथ
19/12/2013	<p style="text-align: center;"> <b>सारण समाहरणालय, छपरा।</b>  <b>न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।</b>  <b>जिला विधि प्रशाखा</b>  <b>आपूर्ति अपील वाद सं० 100/2012</b>  <b>सुगापति देवी बनाम अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा</b>  <b>आदेश</b> </p> <p>संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 2197 दिनांक 24.7.2012 के विरुद्ध वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गई।</p> <p>वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.1.2012 को जिला स्तरीय जॉच दल द्वारा जन वितरण विक्रेता श्रीमती सुगापति देवी, अनुज्ञप्ति सं० 09/1988 पंचायत-दुगौली, प्रखंड-मशरक की दुकान की जॉच की गयी थी। जॉच के कम में निम्न अनियमितताएँ पाई गई थी। यथा- सूचनापट्ट एवं मूल्य भंडार पट्ट प्रदर्शित नहीं, लाभकों की सूची प्रदर्शित नहीं, संयुक्त नमूना प्रदर्शित नहीं, अभिलेख अनुमंडल कार्यालय में रखना, उठाव की सूचना निगरानी/अनुश्रवण समिति को नहीं देना तथा प्रतिलीटर 17 रुपये तेल देना। उक्त अनियमितता के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा ने विक्रेता से कारणपृच्छा की माँग के साथ दुकान से संबंधित सभी अन्य कागजात मूल में माँग की गई। विक्रेता द्वारा प्राप्त कराए गए कारणपृच्छा से उनके उपर लगाए गए आरोप का खंडन नहीं होता बताया गया था। जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा उठाव एवं वितरण की सूचना निगरानी समिति सदस्यों को नहीं दी जाती थी और न ही निगरानी समिति के सदस्यों के देख-रेख में वितरण कराया जाता था। उपभोक्ताओं के बयान से स्पष्ट बताया है कि विक्रेता द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूली जाती थी तथा निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में सामग्री का वितरण किया जाता था। यह भी अंकित है कि विक्रेता अपने बचाव में कोई भी ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रही है। विक्रेता द्वारा समर्पित कारणपृच्छा के साथ प्रस्तुत कागजातों तथा जॉच दल के निरीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन तथा विश्लेषण करने से पाया गया था कि विक्रेता के द्वारा बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 के प्रावधानों, अनुज्ञप्ति की शर्तों, विभागीय दिशा निर्देशों के उल्लंघन एवं जन वितरण प्रणाली की सामग्री के उठाव एवं वितरण में अनियमितता बरतने के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के ज्ञापांक 2214 दिनांक 24.7.2012 द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी थी।</p>	

*ajmy*

